

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्र. / प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
129 / 2014	212, RTA	टोडी	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
जमनालाल	बनाम	सचवू वगै०	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिमांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

8/10/14 अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वकालत प्रार्थी को सुना गया, रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी गण को जर्घ अस्थाई विधेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आसर्जी वाले ग्राम टोडी तह० छबड़ा के मिन ख०नं० 82 रकवा 05.03 बीघा, ख०नं० 83 रकवा 2.09 बीघा, ख०नं० 87 रकवा 13 बिस्वा, ख०नं० 88 रकवा 17 बिस्वा ख०नं० 89 रकवा 3.04 बीघा, मिन ख०नं० 90 रकवा 05 बिस्वा, मिन ख०नं० 91 रकवा 05 बिस्वा, मिन ख०नं० 92 रकवा 05 बिस्वा, मिन ख०नं० 93 रकवा 03 बिस्वा, ख०नं० 94 रकवा 09 बिस्वा, नि ख०नं० 95 रकवा 06 बिस्वा, मिन ख०नं० 96 रकवा 07 बिस्वा, मिन ख०नं० 97 रकवा 06 बिस्वा, ख०नं० 98 रकवा 06 बिस्वा, कुल क्षेत्रफल 14.16 बीघा पर रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 05.11.2014 को पेश हो।

5-11-14 आज पीठारीन अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 24/12/14 को पेश हो।

18/11/14 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 29/11/15 को पेश हो।

22/11/14 आज पीठारीन अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 22/12/15 को पेश हो।

27/11/14 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 15/9/15 को पेश हो।

24/12/14
दिनांक 18/11/15
दिनांक 23/12/15
वाकी 23/12/15
वाकी 25/12/15

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

9/3/16

वक्तुलाप फर्की 30-1 ज.पत्र 212 R+A का जवाब
अज्ञात न. 25-ता 27 की कोर से पत्रा किया
जबल वकील प्रॉप को की गयी. शेष अज्ञात गण
स. 9 ता 24, 28, 29 के जवाब देकर दि. 16/3/16 को प्रेषित

16/3/16

आज पीठारीन अतिथि के अभाव में पत्रा
पर लेने के कारण पत्रावली पूर्णतः अज्ञात
दिनांक 30/3/16 को पत्रा

4
न्यायालय उत्तरांचल
छबड़ा बा.

30/3/16

वा. 3 ल/3 उ.प. क. 16 दुनीगरी
वाले दिनांक 212 06/4/16 से
पेश है

6/4/16

आज पत्रावली पेश हुई, उभय पक्षकारान
की वदम पर मन न किया, पत्रावली का
अध्ययन किया जाया अज्ञात न. 1 ता 3 एवं
7, 8 द्वारा दिनांक 28.10.15 को प्रकवाली
जवाब प्रो. पत्र पेश किया, स्पे दिनांक
9/3/16 को अज्ञात न. 25 ता 27 की
कोर से प्रो. पत्र का जवाब पत्रा किया. विशेष
कथन में वाणिज किया है कि प्रो. पत्र में
वाणिज (आराजी) के सम्बन्ध में दि. 16/6/06
की सम्पूर्ण पालना हो चुकी
है, तथा अज्ञात न. 25 ता 27 ने
अपने हिसा की आराजी का बेचान.

भार. न्याय.
(भार. न्याय.)

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

(*)

श्री मति भवर, तवर पत्नी गेवदु सिद्ध
 राजपूत निवासी - हथडी को - विद्या गा
 चुका है, अग्रणी न. 9 ता 24, 28, 29
 का अन्तत 0. पत्र काम तक पुरा
 नहीं होने से बन्द कर दिना गमा
 है यह 0. पत्र 212 सि. सि. प्रथम
 दृष्टिमा ही बवारीज लोगपडे

अतः जेरकार 0. पत्र से

रान दिनांक 8/10/2014 से दिना
 एक तरफा दिना गमा ^{अ. न. 212 सि. सि. प्रथम} ल्यगन कोदेडा
 काम दिनांक 8/4/16 से समाप्त दिना
 जाता है, इसी स्वर पर बवारीज दिना
 जाता है, प्रकरण फेजज सुमार वरुद
 दाखिल इमतार होवे

निर्णय कृपेले न्यायालय सुनापागमा

विमल लील गीत RAS.
 उप जिला कलेक्टर
 छबड़ा जिला बारी (राज.)